मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 108/लेखा/2016–17 दिनांक 04-10-2016

1. मुख्य नगर नियोजक,
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, सम्पत्ति,

अवगत कराना है कि आवेदक/आवंटियों द्वारा अनेकों बार R.T.G.S. के माध्यम से सीधे प्राधिकरण के बैंक खाते में विभिन्न मदों की धनराशि जमा करायी जाती है, परन्तु जमा कराई गई धनराशि का विवरण/रसीद उसी माह के अन्दर प्राधिकरण को प्राप्त नही कराते है, जिस कारण जमा धनराशि सम्बन्धित के लेजर/खाते में जमा न होकर, अन्य मद (Sundry) खाते में दर्ज हो जाती है, तदुपरान्त आवंटी द्वारा जब भी जमा करायी गयी धनराशि का विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाता है, तभी उक्त धनराशि सम्बन्धित के लेजर में पोस्ट की जाती है। एक बार मासिक लेखा बन्दी के पश्चात लेखानुभाग द्वारा कोई भी जमा धनराशि बैक डेट में सम्बन्धित आवंटी के लेजर खाते में पोस्ट नही की जा सकती हैं। अतः जिस माह में आर०टी०जी०एस० किया गया है, उसी माह में जमाकर्ता द्वारा जमा धनराशि की रसीद, इलाहाबाद बैंक एम.डी.ए. परिसर, से सम्पर्क कर चालान भर कर विवरण उपलब्ध करा दें। जिससे कि आवंटी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि का समय से उसके लेजर खातें में अंकित की जा सके।

वित्त नियन्त्रक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को प्राधिकरण वेबसाईड पर सूचनार्थ अंकित करे।

वित्त नियन्त्रक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।